	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 01, शुक्रवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 22, 2023 *Pausa 01 Friday , Saka 1945- December 22 , 2023*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 06, 2023

संख्या प.8(ग)(38)नियम/डीएलबी/2019/ 9143 :-राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती हैः-

क्र.स.	कर का नाम	
1-	गृहकर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड/भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत्-प्रतिशत छूट।
2-	नगरीय विकास कर	वर्ष 2022-2023 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में शास्ति की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट।

विभागीय अधिसुचना क्रमांक प.8(क)(या)()डीएलबी/21/2881-3410 दिनांक 10.03.2023 द्वारा जारी अधिसूचना की अवधि (प्रषासन शहरों के संग अभियान अवधि) दिनांक 31.03.2024 तक बढायी जाती है एवं पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा तथा जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं विषिष्ठ सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।